

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-6/निदे०आयु०चि०के०(संघा०)-08-66/2018-(खण्ड-1) 119

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

प्रेषक,
निदेशक,
सेवा में,

आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक-18/08/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारण हेतु वेतनादि में अगले आठ माह एवं अन्य मदों में प्रथम चार महीने के लिए कुल ₹1,01,35,330/- (एक करोड़ एक लाख पैतीस हजार तीन सौ तीस रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारण हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में प्रथम चार महीने के लिए विभागीय आवंटनादेश संख्या-05 दिनांक-15.04.2026 के द्वारा कुल ₹74,65,000/- (चौहत्तर लाख पैसठ हजार रु०) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। वित्त विभाग के पत्रांक-304 दिनांक-20.04.2026 के आलोक में आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारणार्थ संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹1,01,35,330/- (एक करोड़ एक लाख पैतीस हजार तीन सौ तीस रु०) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण- 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-282-स्वास्थ्य-मांग सं-44-0001-आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण-''कूट सं०-0001.01.01-वेतन, 0001.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0001.01.04-मकान किराया भत्ता, 0001.01.06- चिकित्सा भत्ता, 0001.11.01-यात्रा व्यय, 0001.13.01-कार्यालय व्यय, 0001.13.04-विद्युत प्रभार, एवं 0001.21.02- दवा भंडार, विपत्र कोड 44- 2225022820001 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी होंगे जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे निकासी की गयी राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में विभाग को भेजेंगे। साथ ही व्यय के पश्चात राशि की बचत का मदवार प्रत्यार्पण विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

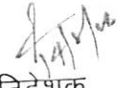
4- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 314/वि० दिनांक 01.04.2026 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं व्यय का पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

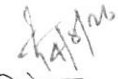

निदेशक

ज्ञापक- सं०-6/निदे०आयु०चि०के०(संधा०)-08-66/2018-(खण्ड-1) पटना, दिनांक-18/08/2026
प्रतिलिपि : (1) विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/ सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/ बजट शाखा एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई०टी०मेनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी वाह्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारणार्थ (पद- आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों, वैद्य सहायकों एवं रसोईया सह सेवक के लिये) वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते मद में अगले आठ माह के लिए आवंटित राशि की विवरणी ।

क्रमांक	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का नाम एवं जिला	पदों का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	वेतन				
					वेतन	जी०या० भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल आवंटित राशि (6 से 9 का)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बटिया (जमुई)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	319000	207350	15950	8000	550300
		2. वैद्य सहायक	1	1					
2	बरहट (जमुई)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	296000	192400	14800	7000	510200
		2. वैद्य सहायक	1	1					
3	रूपावेल (जमुई)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	0	0	0	0	0	0
		2. वैद्य सहायक	1	0					
		3. रसोईया सह सेवक	1	0					
4	दुलमपुर (जमुई)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	910000	600000	46000	16000	1572000
		2. वैद्य सहायक	1	1					
5	मड़वा (कटिहार)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	605000	393250	30250	8000	1036500
		2. वैद्य सहायक	1	0					
		3. रसोईया सह सेवक	1	0					
6	शीतलपुर (कटिहार)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	588000	382200	29400	8000	1007600
		2. वैद्य सहायक	1	0					
		3. रसोईया सह सेवक	0	0					
7	मलिनिया(पूर्णिया)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	605000	393250	30250	8000	1036500
		2. वैद्य सहायक	1	0					
		3. रसोईया सह सेवक	1	0					
8	कुमारीकोठी(पूर्णिया)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	605000	393250	30250	8000	1036500
		2. वैद्य सहायक	1	0					
		3. रसोईया सह सेवक	1	0					
9	सारोदाग, कैमूर (भभुआ)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	1	820500	516900	41330	8000	1386730
		2. वैद्य सहायक	1	0					
		3. रसोईया सह सेवक	1	0					
10	रैहल (रोहतास)	1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा०	1	0	0	0	0	0	0
		2. वैद्य सहायक	1	0					
योग			25	11	4748500	3078600	238230	71000	8136330

कुल राशि (एकसी लाख छत्तीस हजार तीन सौ तीस रु०) मात्र

8/14/26
निदेशक

पत्रांक-119

दिनांक-18.08.26 का अनुलग्नक ।

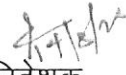
विवरणी-2

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी वाह्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारणार्थ यात्रा व्यय, दवा भंडार चिकित्सा सामग्री, विद्युत प्रभार एवं कार्यालय व्यय मदों में अगले चार माह के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी।

(राशि ₹ में)

क्रमांक	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का नाम एवं जिला	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	किराया, महसूल एवं कर	दवा भंडार	कुल योग (3 से 7 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बटिया (जमुई)	10000	25600	14000	0	160000	209600
2	बरहट (जमुई)	0	25600	6000	0	160000	191600
3	रूपाबेल (जमुई)	0	25600	0	0	135000	160600
4	दुलमपुर (जमुई)	80000	25600	6000	0	160000	271600
5	मड़वा (कटिहार)	0	25600	6000	0	160000	191600
6	शीतलपुर (कटिहार)	10000	25600	0	0	160000	195600
7	मलिनियां (पूर्णिया)	14000	25600	4000	0	160000	203600
8	कुमारीकोठी (पूर्णिया)	14000	25600	4000	0	160000	203600
9	सारोदाग, कैमूर (भभुआ)	0	25600	0	0	160000	185600
10	रैहल (रोहतास)	0	25600	0	0	160000	185600
	योग	128000	256000	40000	0	1575000	1999000

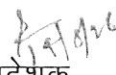
(उन्नीस लाख निनान्चे हजार रुपये मात्र)


निदेशक

पत्रांक- 119 दिनांक- 18.08.2026 का अनुलग्नक ।

विवरणी	वेतन, जी0या0भत्ता एवं अन्य भत्ते	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	किराया, महसूल एवं कर	दवा भंडार चिकित्सा सामग्री	कुल योग (2 से 7 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
विवरणी-1	81,36,330	0	0	0	0	0	8136330
विवरणी-2	0	128000	256000	40000	0	1575000	1999000
कुल योग	8136330	128000	256000	40000	0	1575000	1,01,35,330

(एक करोड़ एक लाख पैतीस हजार तीन सौ तीस रु0)मात्र


निदेशक

पत्रांक- 119 दिनांक- 18.08.2026 का अनुलग्नक ।